



उपभोक्ता संरक्षण : (उपभोक्ता के अधिकार)

श्रीमति कांति सिंह काठेड

पुस्तकालयाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम

Corresponding Author- श्रीमति कांति सिंह काठेड

Email id: kantikathed@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7593490

सार : उपभोक्ता का सामान्य अर्थ है वह व्यवित उपभोक्ता है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खरीदता है। यदि कोई व्यवित जिस वस्तुओं एवं सेवाओं का चरण करता है, उन्हे प्राप्त करने के लिये रपये खर्च करता है तथा अपनी आत्मकता कीपूर्ति के लिये उनका उपयोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। वस्तुयों (जैसे गेहूँ, आटा, अनाज, नमक, चीनी, मसाले, फल फूल आदि) एवं स्थारी वस्तुयों (जैसे कार, टेलीफोन, ऐफीजिरेटर, मोबाइल फ़ोन्चर आदि) सम्मिलित हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अबर कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुयोंक्रय करता है तो वह उपभोक्ता नहीं होगा क्योंकि वह जो वस्तुयों थोक विक्रेता से खरीदता है उसका उपयोग अपने लिये न करके उसे बेचने के लिये करता है।

की वर्द्धस् : उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कानून), क्षतिपूर्ति

परिचय : उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करता है। किसी भी उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया गया मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिविटव ट्रेड प्रेविटसेस एक्ट १९६९ प्रभावशील है जिसे संक्षेप में एम आर टी पी एक्ट कहा जाता है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता को इसकी सूचना एम आर टी पी कमीशन को देनी चाहिये ताकि उसे शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके और व्यापारी के तिरछ आत्मक कार्रवाही की जा सके। उपभोक्ता संरक्षण नियम १९८६ को २४ दिसंबर १९८६ को संसद में पारित किया गया था। जिसे भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण नियम १९८६ राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर यानि तीनों स्तरों पर उपभोक्ता विवाद का निवारण करने के लिये मंत्र प्रदान करता है। सन् १९८७ में राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। एक जिला फोरम में उन सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र है, जहाँ माल और सेवा का मूल्य मुआवजे का दावा २० लाख रुपये से अधिक नहीं है। सन् १८७१ में गरीबों के कानूनी सहायता के लिये आंदोलन किये जिसे मदेनजर रखते हुये फ्रांस सरकार ने कानून बनाये। सन् १९८० में कानूनी

सहायता के लिये एक समिति का गठन किया गया। सन् १९८७ में राजस्थान कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बद्दा के नाम से भी जाना जाता है।

उपभोक्ता अधिकारों की सूची : उपभोक्ता संरक्षण नियम १९८६ के अनुसार एक उपभोक्ता को पारदर्शी बाजार में भाग लेने का अधिकार है। भारत में मुख्य रूप से ६ उपभोक्ता अधिकारों पर विशेष रूप से कार्य किया जाता है।

१. सुरक्षा का अधिकार
२. सूचना देने का अधिकार
३. दुनने का अधिकार
४. सुने जाने का अधिकार
५. निवारण का अधिकार
६. उपभोक्ता शिक्षा अधिकार

सुरक्षा का अधिकार : सुरक्षा का अधिकार उन वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा को रखने करता है, जो जीवन और संपत्ति के लिये हानिकारक हो सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमें यह जानने का अधिकार है कि वस्तु अच्छी वालिटी की है या नहीं। वस्तु की मैन्यूफेवरिंग के बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्त

को वस्तु में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई है यह जानने का पूरा अधिकार है। इसके तहत वस्तु की गारंटी और गुणवत्ता विन्ह और प्रमाणपत्र सहित उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में पूँछने का अधिकार भी है। वस्तु की कीमत अधिक तो नहीं है पूँछने का अधिकार भी है।

सूचना देने का अधिकार : उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय उसकी बारिकियों के बारे में जानने का अधिकार है। इस अधिकार का उद्देश्य हर व्यवित को उसकी मात्रा, शुद्धता, मानक और माल की कीमत के अलावा उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में पूँछताछ करने में मदद करता है।

चुनने का अधिकार : इस अधिकार के अंतर्गत हमें अपनी पसंद की वस्तु खरीदने का अधिकार है। कोई भी विक्रेता हमें बिना हमारी पसंद के कोई भी वस्तु खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता है। यदि विक्रेता ऐसा करता है जो उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के तहत उपभोक्ता न्यायालय में रिपोर्ट करने का पूरा अधिकार है।

मुने जाने का अधिकार : इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता बाजार में किसी भी अन्याय के खिलाफ निडर होकर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिये सश्वत बनाने पर जोर देता है। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह कंज्यूमर कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। हर एक उपभोक्ता को अदालत और अन्य संगठनों में सुनवाई का अधिकार दिया जाता है।

निवारण का अधिकार : उपभोक्ता को अपनी समस्याओं के निवारण और अपने प्रश्नों को हल करने का अधिकार होता है। इस अधिकार के लिये जिला सतर पर कई मामलों की सुनवाई की जाती है।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार : एक उपभोक्ता के रूप में आपको अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिये। वह अधिकतर प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षवत बनाने का लक्ष्य रखता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संघों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी नीति निर्माता प्रत्येक व्यवित को उपलब्ध कर्तव्यों जिम्मेदारियों और राहत के बारे में सूचित करके उपभोक्ता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपभोक्ता कब शिकायतें कर सकता है :

१. किसी भी विक्रेता द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि क्रेता को हानि या क्षति हुई है तो वह शिकायत कर सकता है।
२. या फिर खरीदे गये सामान में किसी भी प्रकार की खराबी, कमी, वस्तु की एकसपाईरी डेट निकलने के बाद बेचा गया है तो इस स्थिति में शिकायत की जा सकती है।
३. विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को पदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य में वस्तु बेची हो तो भी शिकायत की जा सकती है।
४. यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुये जीवन तथा सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा करने वाला सामान बेचा है तो भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत कौन कर सकता है :

स्वयं उपभोक्ता या कोई खैचिक उपभोक्ता संगठन जो समिति पंजीकरण अधिनियम १८६० अथवा कंपनी अधिनियम १९७१ अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है।

शिकायत कहाँ की जाती है :

शिकायत कहाँ की जाय यह बात सामान सेवाओं की लागत अथवा मॉगी गई प्रतिपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर यह राशि २० लाख रुपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि २० लाख से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्षा और यदि एक करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्षा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सामान्य क्रेता अपनी छोटी शिकायत उपभोक्ता कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। शिकायत के लिये निम्न वेबसाईट पर सभी पते उपलब्ध हैं :

fcamin.nic.in

शिकायत कैसे करें :

उपभोक्ता द्वारा सादे कानून पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ता तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं कब क्रय किया गया है, कहाँ से क्रय किया गया है आदि का विवरण शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ ही ग्राहीकृत एजेंट के हस्ताक्षर होना चाहिये। इस प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिये किसी वकील की आवश्यकता नहीं होता है। इस कार्य के लिये नाम मात्र का न्यायालय शुल्क लिया जाता है।

क्षतिपूर्ति कैसे :

उपभोक्ताओं को प्रदाय सामान से खराबियों हटाना, सामान को बदलना, चुकाये गये मूल्य को वापिस देने के अलावा हानि अथवा छोट के लिये क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है। साथ ही सेवाओं में श्रुतियों अथवा कमियां हटाने के साथ साथ पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय बाट व्यय प्रदान कर राहत दी जाती है।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के मुख्य कानून :

इस कानून के आधार पर उपभोक्ता के साथ ही साथ उपभोक्ता संगठन केंद्र या राज्य सरकार, एक या एक से अधिक उपभोक्ता कार्यवाही कर सकते हैं :

१. भारतीय टेलीग्राम अधिनियम - १८८७
२. पोस्ट आफिस अधिनियम - १८८८
३. उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम - १९३०
४. ड्रेस नियंत्रण प्रशासन एम.आर.टी.पी आयोग उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रेस एण्ड कार्मेटिक अधिनियम - १९४०
५. उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान अधिनियम - १९७२
६. खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम - १९७४
७. ड्रेस निरिक्षक उपभोक्ता सिविल अदालत से संबंधित ट ड्रेस ए मैजिक रेमिडीज उधिनियम - १९७४
८. खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम - १९७५
९. जीवन बीमा अधिनियम - १९७६
१०. ट्रेड एक मैकॉन्टार्ड इंडिया अधिनियम - १९७८
११. मेनापालिज एंड रेस्ट्रेविटव ट्रेड प्रैविट्सेज अधिनियम - १९६९
१२. प्राईज चिट एंड मनी सकुलेशन रकीम्स अधिनियम - १९७०
१३. हायर परचेज अधिनियम - १९७२
१४. राज्य प्रदृष्टण नियंत्रण बोर्ड/केंद्र सरकार से संबंधित जल संरक्षण तथा प्रदृष्टण नियंत्रण अधिनियम - १९७६
१५. ट एंड रेस्ट्रेविटव एंड मेजर्स ऐकेज्ड कमोडिटी रल्स - १९७७
१६. ट प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटीनेंस ऑफ सप्लाइज एसेंसियल कमोडिटीज एवट - १९८०
१७. वायु संरक्षण तथा प्रदृष्टण अधिनियम - १९८१

१८. भारतीय मानक बायरो सिविल/उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण आदेश नियम - १९८१

१९. विटफंड अधिनियम - १९८२

२०. रेलवे अधिनियम - १९८२

२१. ट स्टेंडेस ऑफ वेट एण्ड मेजर्स इंफोर्मेंट अधिनियम - १९८७

२२. भारतीय मानक बायरो से संबंधित भारतीय मानक ब्लूरो अधिनियम - १९८६

२३. पर्यावरण मंत्रालय राज्य व केंद्रीय प्रदृष्टण बोर्ड से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - १९८६

२४. विद्युत तार केबल्स उपकरण एवं एयरसरीज गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम - १९९३

२५. इन्फारमेशन एंड टेवनालॉजी अधिनियम - २०००

२६. भारतीय विद्युत अधिनियम - २००३

२७. संशोधित उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण अधिनियम - २००२

उपभोक्ता के उत्तरदायित्व : उपभोक्ताओं को अधिकार के लिये कुछ उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिये। कोई उपभोक्ता यह चाहता है कि वे अपनी सुनवाई के अधिकार का प्रयोग कर सके तो उनका भी यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी समस्याओं को जाने तथा उनके संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करते रहें। अपनी शिकायतों के निवारण के अधिकार का उपयोग करने के लिये उपभोक्ता को सही वस्तु के मूल्य पर चुनने के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिये तथा उन्हे यह भी सीखना चाहिये कि किसी प्रकार की छोट अथवा हानि को रोकने के लिये उन वस्तुओं का कैसे उपयोग करें। उपभोक्ता के दायित्वों में विषेष रूप से समिलित निम्न दायित्व है :

१. स्वयं सहयोग का दायित्व : उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि जहाँ तक संभव हों सके वस्तु के संबंध में सूचना एवं चुनाव के लिये वह विक्रेता पर निर्भर न हो। एक उपभोक्ता के नाते आप से यह अपेक्षा है कि स्वयं को धोखे से बचाने के लिये अपका व्यवहार उत्तरदायित्वपूर्ण हो। एक सजग उपभोक्ता दूसरे की अपेक्षा अपने हितों का अधिक ध्यान रख सकता है। शुल्क से ही जागरूक हो जाना एवं अपने आप को तैयार कर लेना है। हानि अथवा क्षति पहुँचाने के पश्चात् उसका निवारण करने से सदा श्रेष्ठ होता है।

2. **लेन देन का प्रमाण :** उपभोवता का दूसरा दायित्व क्रय का प्रमाण एवं स्थारी वस्तुओं के क्रय से संबंधित प्रपत्रों को प्राप्त करना एवं उन्हे सुरक्षित रखना है। उदाहरण के लिये वस्तु के क्रय पर कैश मैमो (बिल) को प्राप्त करना आवश्यक है। याद रहे कि यदि आप वस्तु में किसी कमी के संबंध में शिकायत करना चाहते हैं तो क्रय का प्रमाण होने पर आप वस्तु की मरम्मत अथवा उसके प्रतिस्थापन का दावा कर सकते हैं। यदि कोई उपभोवता टीवी, एसी, मशीन आदि का दावा करता है जो विक्रेता उसे गारंटी/वारंटी कार्ड देते हैं। यह कार्ड आपको क्रय मुफ्त प्राप्त करने का अधिकार देता है।
3. **उचित दावा :** उपभोवता का एक और विशेष दायित्व है जो उसे मासितष्क में रखना चाहिये कि शिकायत करते समय हानि एवं क्षति होने पर उसकी पूर्ति का दावा करते समय अनुचित रूप से बड़ा दावा नहीं करना चाहिये। कभी कभी उपभोवता अपने निवारण के अधिकार का उपयोग न्यायालय में करता है। ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिनमें उपभोवता ने बिना किसी उचित कारण के क्षति पूर्ति की बड़ी राशि का दावा किया है। यह अनुचित कार्य है जिससे बचना चाहिये।
4. **उत्पाद अथवा सेवाओं का उचित उपयोग :** कुछ उपभोवता विशेष रूप से गारंटी अवधि के दौरान यह सोतकर वस्तुओं तथा सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं कि इस अवधि में इसका प्रतिस्थापन तो हो ही जायेगा। परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। उपभोवताओं को वस्तुओं को अपनी समझकर इसका प्रयोग करना चाहिये। इन सभी दायित्वों के अतिरिक्त उपभोवता के अन्य दायित्व भी होते हैं जैसे उन्हे निर्माता, व्यापारी एवं सेवा प्रदानकर्ता के साथ अपने अनुबंध का सरक्ती से पालन करना चाहिये। उधार क्रय की रिस्ति में उसे समय पर भुगतान करना चाहिये। उपभोवताओं को सरकारी संतति जैसे रेलगाड़ी, बसों आदि को हानि नहीं पहुँचानी चाहिये। उन्हे याद रखना चाहिये कि उन्हे अपने अधिकारों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वह अपने दायित्वों को निभाने के लिये तैयार हो।

निष्कर्ष : उपभोवता संरक्षण की संकल्पना उपभोवताओं के हितों की रक्षा करना है।

उपभोवताओं को व्यवसाय के अनैतिक अनाचारों से बचाने के उपर्यों को अपनाता है। उपभोवता संरक्षण उपभोवताओं का त्वरित निवारण करता है। उपभोवताओं के विक्रेताओं के किसी भी तरह के दुरावारों के खिलाफ संरक्षण की आवश्यकता को पूर्ण करता है।

संदर्भ :

1. <http://hi.wikipedia.org>
2. <http://www.drishtias.com>
3. <http://legislative.gov.in>
4. <http://www.scotbu.org>
5. <http://housing.com>